कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य- 11/2024 **दिनांक 19/12/2024**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

अपने पत्र संख्याःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 18.12.2024** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना जमानिया पुलिस टीम द्वारा 01 अदद देशी तमन्चा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 18.12.2024 को उ0नि0 अजय कुमार मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर करमहरी बार्डर के पास से अभियुक्त पीयूष दुबे पुत्र सुभाष दुबे निवासी ग्राम कटसरिया थाना मोहनिया जिला कैमुर भभुआ बिहार उम्र करीब 24 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 01 अदद देशी तमन्चा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 359/2024 धारा- 3/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. पीयूष दुबे पुत्र सुभाष दुबे निवासी ग्राम कटसरिया थाना मोहनिया जिला कैमुर भभुआ बिहार उम्र करीब 24 वर्ष।

बरामदगी- 01 अदद देशी तमन्चा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 359/2024 धारा- 3/25 आयुध अधिनियम थाना जमानिया गाजीपुर

02. जिले के बड़े नकल माफियाओं की याचिका को मा0 न्यायालय द्वारा किया गया खारिज, जिलाधिकारी महोदया के कुर्की के आदेश को सही ठहराते हुए किया बहाल।

अवगत कराना है कि दिनांक 12.02.2021 को जिले में परीक्षाओं में नकल के लिए बुद्धम शरणम् इण्टर कालेज छावनी लाइन और ग्लोरियस पब्लिक स्कूल छावनी लाइन को व्यापक पैमाने पर सामूहिक रुप में नकल कराने के आरोप में जिलाधिकारी महोदया द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए कुर्क कराने का आदेश दिया गया था जिसके तहत पुलिस प्रशासन ने दोनो विद्यालय को कुर्क कर बन्द करा दिया गया था। जिलाधिकारी महोदया के आदेश के खिलाफ नकल माफिया पारस नाथ कुशवाहा ने विशेष न्यायधीश गैगेस्टर कोर्ट अलख कुमार के अदालत में याचिका दायर की थी। मा0 न्यायालय द्वारा साक्ष्यों तथा दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं की

बहस सुनने के बाद पारस नाथ कुशवाहा की याचिका खारिज करते हुए जिलाधिकारी महोदया के आदेश को बहाल करते हुए कुर्की की कार्यवाही को उचित ठहराया।
जिसकी पैरवी अपर शासकीय अधिवक्ता अखिलेश सिंह द्वारा की गई थी।

<u>03. थाना कासिमाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 315/2024 धारा 105 बीएनएस में वांछित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।</u>

अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.12.2024 को उ0नि0 बालेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0 315/2024 धारा 105 बीएनएस थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित प्रकरण में वांछित 01 नफर अभियुक्त को धरवार कला ब्रिज के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।
संक्षिप्त विवरण - उल्लेखनीय है कि दिनांक 18.12.2024 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त द्वारा वादिनी के पति सुभाष राजभर को पैसे की लेन देन के विवाद को लेकर धक्का दे देना जिससे पेड़ में टकरा जाने के कारण बेहोश हो जाने तथा बाद में मृत्यु हो गई थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

01 .अशोक राजभर पुत्र स्व० हरिहर राजभर निवासी ग्राम धरवार कला थाना कासिमाबाद गाजीपुर उम्र करीब 45 वर्ष

आपराधिक इतिहास -

01 . मु०अ0 सं0 315/2024 धारा 105 बीएनएस0 2023 थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर।

<u>04. थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी को किया गया गिरफ्तार।</u>

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे चेकिंग अभियान व वाँछित/ वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में आज दिनांक 18.12.2024 को उ0नि0 ओमप्रकाश मय हमराह द्वारा माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम जनपद न्यायालय, गाजीपुर द्वारा जारी एनबीडब्लू एसटी नं0 718/24 अ0सं0 263/24 धारा 8/22/29 एनडीपीएस एक्ट बनाम रोहित पुत्र स्व0 पटकू निवासी खुदाईपुरा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 32 वर्ष को उसके घर से गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता -

01. रोहित पुत्र स्व0 पटकू निवासी खुदाईपुरा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 32 वर्ष

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर